

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2025/181697/FIR/FIROZABAD/2109/CFO****दिनांक : 17-12-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL** पता **0,VILL-BASAI,FIROZABAD** तहसील - **TUNDLA** प्लॉट एरिया **14398.44 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **8841.48** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	12.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **19-12-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJENDRA YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-12-2025** से **22-12-2030** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : AS PER FSSO REPORT-भवन के सैट बैक केस के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में छूट प्रदान की जाती है एवं सैट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित है। प्रश्नगत भवन का निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि भवन का कुछ हिस्सा निर्माणाधीन है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा और अभी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं है भवन स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि भवन के निर्माण के उपरान्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के बाद सम्पूर्ण भवन का पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्पूर्ण भवन का उपयोग किया जाये। दी गयी शर्तों का उल्लंघन करने एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं के अकार्यशील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझी जायें।



निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-12-2025
स्थान : FIROZABAD

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
SATYENDRA PRASAD PANDEY

A31E6C4964D3209AC40D676A58ECFB565002BE76

23-12-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.